आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

**एम. एस. रामचंद्र राव और हरमिंदर सिंह मदान से के सम्मुख, जे. जे.**

अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-2018 का प्रतिवादी सीडब्ल्यूपी No.12953

10 मार्च, 2022

**वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002-धारा 13 (2)-कुल एकमुश्त निपटान राशि में से बैंक दर पर ब्याज के साथ शेष राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए निर्धारित तिथि से अधिक समय का विस्तार-अनुमति-माना जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की बिक्री में लगी हुई है-माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही ओटीएस के तहत निर्धारित अंतिम तिथि तक ओटीएस राशि का 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया था और केवल 2.52 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी था-यह तथ्य कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए 8 से 9 महीने के समय की अवधि समाप्त हो गई थी, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि ओटीएस विस्तार से इनकार किया जाना चाहिए-एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट-न्यायालय का एक अधिनियम किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।**

ऐसा माना गया कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2020) 8 एससीसी 531 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की:"124. इस तथ्य को देखते हुए कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर समाधान संहिता के सफल कामकाज में एक प्रमुख कारक है, संशोधन के खिलाफ एकमात्र वास्तविक तर्क यह है कि कानूनी कार्यवाही में लाने वाले समय को कभी भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक लैटिन सिद्धांत के आधार पर नहीं रखा जा सकता है जो न्याय के उदेशय का समर्थन करती है, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविट।

125. आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह 22 के मामले में, इस न्यायालय ने हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के तहत कानूनी कार्यवाही में लाने वाले

समय पर इस उक्ति को लागू किया, जिसमें कहा गया थाः(एस. सी. सी. पीपी. 288-89, पैरा 8)

"8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की गलती या प्रक्रिया में देरी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।ब्रूम ने कहा है कि मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट-अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।(पैरा 83)

V.K.Sachdeva, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

571

( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

अक्षय जैन, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता

**एम. एस. रामचंद्र राव, जे.**

(1) यह रिट याचिका विवादित संचार दिनांक 16-05-2018 को रद्द करने के लिए उत्प्रेष्ण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दायर की गई है। (अनुलग्नक पी-1) प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा जारी किया गया है जिसके तहत अनुरोध dt.10.05 है।2018 (याचिकाकर्ता की कंपनी का अनुलग्नक पी-2) रुपये की शेष राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए 21.05.2018 की निर्धारित तिथि के बाद और समय देने के लिए। कुल एकमुश्त निपटान राशि में से 2.52 करोड़ रुपये (बैंक दर पर ब्याज के साथ)। 10.54 करोड़, अस्वीकार कर दिए गए हैं।

(2) याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की बिक्री में लगी हुई है।

(3) याचिकाकर्ता के मंजूरी पत्र दिनांक 28.08.2012, के माध्यम से प्रत्यर्थी-बैंक ने रुपये की नकद क्रेडिट (हाइपोथेकेशन) सीमा को मंजूरी दी। 15.00 करोड़ उक्त ऋण के लिए, सुरक्षा याचिकाकर्ता की कंपनी के स्टॉक/परिसंपत्तियों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में अनुमान लगाने के लिए पेश किया गया था और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, मैसर्स एएमजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर होटल मेट्रो, एससीओ No.401-402, सेक्टर 35, चंडीगढ़ सहित संपत्ति का एक न्यायसंगत गिरवी रखने की पेशकश की गई थी, जिसका मूल्य रु। 26.30 करोड़ था।

(4) वर्ष 2014 में कथित रूप से मंदी या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण झटका लगा और याचिकाकर्ता के ऋण खाते को प्रतिवादी-बैंक द्वारा 02.03.2015 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किया गया और दिनांक 03.03.2015 वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज

अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा

13 (2) के तहत रुपये की मांग करते हुए जारी किया गया था जिसमें 60 दिनों के भीतर Rs.15,98,27,464. 62 भुगतान करन होगा बाद में, एक और नोटिस dt.08.04।2015 अधिनियम की धारा

13 (2) के तहत Rs.16,24,03,431.86 की मांग करते हुए जारी किया गया था।

(5) याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 (3 ए) के तहत दिनांक 10–06–2015 को एक जवाब/अभ्यावेदन भेजा।

(6) याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी-बैंक ने हालांकि अनिवार्य रूप से आवश्यक था, Sec.13 (2) के तहत नोटिस पर याचिकाकर्ता की आपत्तियों/जवाब पर विचार नहीं किया और इसका कोई जवाब नहीं दिया।

(7) इसके बाद, प्रत्यर्थी-बैंक ने एक अधिकार प्रकाशित किया



30.06.2015 को समाचार पत्र 'द ट्रिब्यून' में अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नोटिस में कहा गया है कि उसने 26.06.2015 को गिरवी रखने वाली बंधक कंपनी के चल रहे होटल का प्रतीकात्मक कब्जा इस आधार पर ले लिया था कि याचिकाकर्ता ने नोटिस दिनांक 08–04–2015 में उल्लिखित राशि का भुगतान करने में चूक की थी। जो अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत याचिकाकर्ता को जारी किया गया।

(8) याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने जुलाई/अगस्त 2015 में रुपये की अतिरिक्त जमा राशि के अलावा Rs° 49.64 लाख रुपये। ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत करने के

बाद नकद ऋण खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि उसने ऋण राशि चुकाने के ईमानदार इरादे से प्रतिवादी-बैंक के बकाया को चुकाने के लिए आवासीय घर सहित कुछ व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच दिया है। (9) प्रतिवादी-बैंक ने समाचार पत्र 'द ट्रिब्यून' दिनांक 01-11-2015 को एक बिक्री नोटिस जारी किया और प्रकाशित किया। जिसमे 05-12-2015, को  गिरवी रखने वाले की अचल संपत्ति की ई-नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था।(10) इसके बाद याचिकाकर्ता ने 26.11.2015 को अधिनियम के खंड 17 के तहत प्रतिभूतिकरण आवेदन दायर करके डी. आर. टी. से संपर्क किया।हालाँकि, उक्त नीलामी सफल नहीं हुई और प्रतिवादी-बैंक ने दिनांक 15-12-2020 को एक और नोटिस  जारी किया।.याचिकाकर्ता के अनुसार, डी. आर. टी. में लोक अदालत में भी मामले को निपटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद, प्रतिवादी-बैंक ने डी. आर. टी., चंडीगढ़ के समक्ष दिनांक 25.04.2016 पर असल पक्ष दायर किया।

## ओटीएस प्रस्ताव

(11) इसके बावजूद, प्रतिवादी-बैंक ने एक पत्र भेजा दिनांक 11.09.2017 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया वह वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की एक योजना लेकर आया है, और याचिकाकर्ता एसबीओ-ओटीएस-2017 नामक उक्त योजना के तहत ओटीएस के लिए पात्र है। इसमे कहा कि 31.03.2017 तक बकाया खाता-बही Rs.13,99,89,273.99 है, और प्रस्तावित ओटीएस राशि Rs.10,53,75,069.74 थी।

(12) इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से  रुपये की अग्रिम राशि जमा की। 1 करोड़ 40 लाख, और निपटान के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(13) प्रत्यर्थी-बैंक ने पत्र दिनांक 21.11.2017 के पक्ष द्वारा ओ. टी. एस. प्रस्ताव से रुपये 1 करोड़ 40 लाख को मंजूरी दी, रुपये की प्राप्ति की पुष्टि की। 1. 40 करोड़, और याचिकाकर्ता को 25 प्रतिशत ओ. टी. एस. राशि 2,63,43,768/- को 21.12.2017 तक जमा करने की आवश्यकता थी, और कहा कि शेष राशि का भुगतान पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर एक साथ किया जा सकता है, यानी 25.01.2018 अरविंद इलेक्ट्रनिक्स । प्राइवेट लिमिटेड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

एम. सी. एल. आर. + 2 प्रतिशत ब्याज के साथ ऐसा न करने पर ओ. टी. एस. निष्फल हो जाएगा।

(14) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 30.12.2017 तक रु. 1,23,45,000/- जमा किए और इस प्रकार, ओ. टी. एस. राशि का 25 प्रतिशत जमा करने की शर्त का पालन किया गया।

(15) स्वीकृत ओटीएस के अनुसार याचिकाकर्ता की शेष रु. 7,90,31,301/- रुपये दिनांक 21.05.2018 तक करनी थी।

(16) याचिकाकर्ता ने 1,20,00,000/- रुपये दिनांक 26.02.2018, के Rs.18,00,000/- रुपये 27.02.2018 पर जमा किए। 50.00,000/- 16.03.2018 पर कुल रु. 1,88,00,000/- छोड़ते हुए रु. 6,02,31,301/- का भुगतान 21.05.2018 तक करना होगा ।

**ओ. टी. एस. के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध और उसका इनकार**

(17) 10.05.2018 को, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-बैंक से एक अनुरोध पत्र के साथ संपर्क किया जिसमें कहा गया था कि वह रु। 21.05.2018 के 3.50 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकता हाए और 9 महीने की अतिरिक्त अवधि देने के लिए अनुरोध किया गया ताकि 2. 52 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सके। ब्याज की आधार दर पर विस्तारित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का भी वादा किया गया । 21.05.2018 को 3.50 करोड़ जमा किए गए ।

(18) इस प्रकार, ओटीएस को पूरा करने के लिए दिए गए समय के भीतर, याचिकाकर्ता ने रुपये 8.02 करोड़ रुपये जमा करा दिये,10, 53, 750, 69.74 रुपये यानी ओ. टी. एस. राशि का 80 प्रतिशत। 2. 52 करोड़ रुपये (लगभग 20 प्रतिशत भुगतान किया जाना है)।

(19) लेकिन समय बढ़ाने के उक्त अनुरोध को प्रतिवादी-बैंक द्वारा पत्र दिनांक 16.05.2018 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। (अनुलग्नक पी-1) में कहा गया हैः-

"इस संबंध में, हम सलाह देते हैं कि बैंक की विशेष ओटीएस योजना 2017 के तहत आपके खाते में एक बार के निपटान को मंजूरी दी गई थी, जो खातों की एक विशेष श्रेणी पर लागू होती है। यह योजना गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण थी। योजना के नियम और शर्तें

सभी पात्र उधारकर्ताओं पर समान रूप से लागू होती हैं।इस योजना के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

इस प्रकार, अवशिष्ट राशि के हिस्से का भुगतान करने के लिए 8 से 9 महीने की अवधि के लिए विस्तार के लिए आपका अनुरोध, यानी रु. 2.52 करोड़ पर विचार नहीं किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप ओ. टी. एस. के रद्द होने से बचने के लिए निर्धारित तिथि तक देय ब्याज के साथ ओ. टी. एस. अर्थात 21.05.2018 तक सम्पूर्ण अवशिष्ट राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।



ओ. टी. एस. के रद्द होने से बचने के लिए निर्धारित तिथि तक देय ब्याज के साथ ओ. टी. एस. अर्थात 21.05.2018 तक सम्पूर्ण अवशिष्ट राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

(20) उसी के आधार पर, तत्काल रिट याचिका 19.5.2018 पर दायर की गई थी।

## याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें

(21) याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि शेष ओ. टी. एस. राशि चुकाने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने में प्रतिवादी-बैंक की कार्रवाई अनुचित और अन्यायपूर्ण थी, प्रतिवादी-बैंक याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर विचार करने में विफल रहा I याचिकाकर्ता ने उपरोक्त OTS में से 8.02 करोड़ का भुगतान करने के बाद केवल 7–8 महीने की छोटी अवधि की मांग की थी और केवल 2.52 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी ।

(22) याचिकाकर्ता के वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया हैः-

🎬 अनु भल्ला और एक अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, पठानकोट

**2020 का पठानकोट सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5518 पी एंड एच (डी. बी.) 22.9.2020।**

**(WP NO 5518 of 2020 P & H (DB)22–09–2020**

🎬 मिलखी राम भगवान दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट और अन्य

**2020 पी एंड एच (डीबी) डीटी 23.12.2020 का सीडब्ल्यूपी नंबर 327।**

मेसर्स बहल रोलर फ्लोर मिल्स बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक

सी. डब्ल्यू. पी.-20520-2019 डी. टी. 29.1.2021 में आर. ए.-सी. डब्ल्यू.-22-2021 में 2021 का सी. एम. सं. 1375।

अमित महाजन और एक अन्य बनाम पंजाब और राष्ट्रीय बैंक,

**2021 पी एंड एच डीटी का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6809। 10.12.2021।**

मेसर्स ए-वन मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब एचडीएफसी बैंक 1.

मेसर्स लॉर्ड बुद्ध सोसायटी बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

2012 पी एंड एच (डी. बी.) का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4348।

मेसर्स मल्हन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक 2.

सत कर्तार आइस एंड जनरल मिल्स बनाम पंजाब वितिय निगम 3.

1 2013(1) पीएलआर 688 पी एंड एच (डीबी)

2 2015 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 782 पी एंड एच (डी. बी.) 3 2008 (1) आई. एस. जे. (बैंकिंग) 248 पी एंड एच (डी. बी.)

अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

575

( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

भारतीय स्टेट बैंक बनाम विजय कुमार 4.

## रिट याचिका दायर करने के बाद की घटनाएँ

(23) इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा 22.05.2018 को 25.07.2018 के लिए प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और डी. आर. टी., चंडीगढ़ को बैंक द्वारा ORIGINAL APPLICATION मामले को तत्काल मामले में निर्धारित तिथि से आगे स्थगित करने का निर्देश दिया गया था।

(24) इसके बाद, उत्तरदाता-बैंक द्वारा 20.08.2018 को जवाब दाखिल किया गया।बाद में, 09.10.2018 को, अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया।

(25) बाद में मामले को 20.11.2018,15.01.2019 तक स्थगित कर दिया गया दिनांक 21.02.2019 को याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता की प्राथमिकता दिखाने के लिए Rs.50 लाख की और राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

विश्वास करते हैं।

(26) याचिकाकर्ता द्वारा 24.6.2019 को भी इस निर्देश का पालन भी किया गया था, जिसमें केवल ओ. टी. एस. के लिए रु. 2.02 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

(27) याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता ओटीएस का पालन करने के लिए समय बढ़ाने का हकदार है क्योंकि याचिकाकर्ता अनु भल्ला (1 सुप्रा) और ऊपर निर्दिष्ट अन्य निर्णयों के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करता है।

(28) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता रु. 2.02 रुपये की बकाया राशि समय के साथ जमा करेगा। यदि याचिकाकर्ता को ऐसा करने के लिए आज से दो महीने का समय दिया जाता है 'तो' भी लागू ब्याज के साथ 2 करोड़ 2 लाख रुपये।

## प्रतिवादी बैंक के लिए वकील की दलीलें

(29) अपने लिखित उत्तर में, प्रतिवादी-बैंक ने इस बात से इनकार किया कि याचिकाकर्ता के व्यवसाय को मंदी या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण नुकसान हुआ और कहा कि इसी तरह की व्यावसायिक संस्थाओं ने जोरदार व्यवसाय किया था।यह बताया गया कि याचिकाकर्ता के ऋण खाते को 02.03.2015 को एन. पी. ए. के रूप में सही घोषित किया गया था, और याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई सही तरीके से शुरू की गई थी। (30) यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी बैंक द्वारा एक परिपत्र/नीति दिनांक 01.09।2017 को जिसमे 31.03.2017 को 2 लाख रुपये मे 25 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वाले NPA खातो के लि एक OTS योजना मुक्त की गई थी और उक्त योजना विवेकाधीन और गैर भेदभाव पूर्ण थी ।

4 आकाशवाणी 2007 एससी 1689 576

(31) यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त नीति के आधार पर, एक पत्र दिनांक 11.09.2017 के माध्यम से याचिकाकर्ता को ओटीएस की पेशकश जारी की गई थी।

(32) यह तर्क दिया जाता है कि एक बार याचिकाकर्ता द्वारा देय बकाया राशि को पत्र दिनांक 21.11.2017 के माध्यम से ओटीएस प्रस्ताव की स्वीकृति पर स्पष्ट किया गया था। तो, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता-बैंक से बाद में कोई रियायत मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। (33) यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता सहमत ओटीएस से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है; और यह कि रुपये 6,02,31,301/- 21.05.2018 को या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता थी, लेकिन उक्त राशि जमा नहीं की गई थी।

(34) प्रतिवादी के अनुसार, रु। 3. 50 करोड़ रुपये की राशि को दिनांक 22.05.2018 को जमा किए गए थे, और अभी भी कुल ओ. टी. एस. राशि में से Rs. 2.52 करोड़ शेष है।

(35) यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी-बैंक के बीच ओ. टी. एस. 21.05.2018 द्वारा पूरी ओ. टी. एस. राशि का भुगतान न करने के कारण समाप्त हो गया, और प्रतिवादी-बैंक अब तक के ब्याज और शुल्कों के साथ कुल बकाया राशि का दावा करने का हकदार बन गया।

(36) इस बात से इनकार किया जाता है कि यदि शेष राशि के पुनर्भुगतान की अवधि 8 से 9 महीने तक बढ़ा दी जाती है तो प्रतिवादी-बैंक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(37) यह बताया गया है कि ओटीएस योजना दिनांक 01.09.2017 एक निश्चित अवधि के लिए था जिसका उद्देश्य कम समय के भीतर तनावग्रस्त खातों से धन प्राप्त करना था, और प्रतिवादी-बैंक के अंतर्निहित उद्देश्यों के साथ उधारकर्ता को कुछ लाभ और प्रोत्साहन दिए गए थे ताकि कम समय के भीतर पर्याप्त राशि की वसूली की जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि 31.03.2017 को बकाया राशि Rs.13,99,89,273.99 था, जिसमें एन. पी. ए. और अन्य शुल्कों की तारीख से उपार्जित ब्याज शामिल नहीं था, लेकिन खाते को Rs.10,53,75,069.74 की छोटी राशि के लिए निपटाने पर सहमति व्यक्त की गई थी, और इस प्रकार, प्रतिवादी-बैंक ने कम से कम समय के भीतर शेष बकाया राशि की वसूली के लिए एक बड़ी राशि का त्याग किया था।

(38) यह तर्क दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार ओ. टी. एस. राशि या उसके हिस्से के भुगतान की अवधि बढ़ाई जाती है, तो ओ. टी. एस. के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल हो जाएगा।

(39) प्रतिवादी-बैंक ने भी पत्र दिनांक 16.05.2018 में निहित अपने निर्णय को उचित ठहराया। ओ. टी. एस. के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना।

अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

577

( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

(40) प्रतिवादी-बैंक के वकील ने उपरोक्त प्रस्तुतियों को दोहराया और निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:–

- बिजनौर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम मीनल अग्रवाल

**2021 का अग्रवाल दीवानी याचिका सं 7411 दिनांक।15.2.2121 (एससी)।**

- अशोकन वासु बनाम भारतीय स्टेट बैंक 5.
- वी. के. मलिक चिलिंग सेंटर बनाम पंजाब वितिय निगम बैंक 6.
- डिजिविजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम इंडियन बैंक 7.
- विपिन कुमार गुप्ता बनाम शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.
- तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड बनाम मिलेनियम बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। 9.
- एम. एम. एक्सेसरीज बनाम यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 10.- मेसर्स चिनार फैब्रिक्स बनाम भारतीय स्टेट बैंक 11

**न्यायालय द्वारा विचार**

(41) सबसे पहले हम इस प्रश्न पर विचार करेंगेः क्या "ओ. टी. एस. योजना को उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो किन परिस्थितियों में?"

(42) इस मुद्दे पर एक समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था

अनु भल्ला और अन्य (1 सुपड़ा) के मामले में यह न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था I

(43) उस मामले में, खण्ड पीठ ने विशेष रूप से यह माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्रा का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालयों के पास समझौते की अवधि बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र होगा जैसा कि मूल रूप से ओटीएस पत्र में प्रदान किया गया है, लेकिन पालन करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

(44) इसने माना कि वन टाइम सेटलमेंट को कठोर सिद्धांत के द्वारा छिपाया नहीं जा सकता 5 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4282 के साथ नहीं है

6 (2007) 4 ईसा पूर्व 474

7 (2005) 3 सीटीसी 513

8 ए. आई. आर. 2004 सभी 319

9 (2005) 1 एलडब्ल्यू 58

10 एयर 2002 ऑल 319

11 2006 (2) ई. (दिल्ली) 167



जो शेष/शेष निपटान राशि का भुगतान करने के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकते हैं और वास्तव में कुछ बैंकों की स्वयं की ओ. टी. एस. नीतियों में उनकी संबंधित निपटान नीतियों में समय अवधि के विस्तार के प्रावधान हैं।

(45) एक बार ऐसा होने पर, पीठ ने माना कि यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है कि न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी न्यायसंगत अधिकार क्षेत्रा का प्रयोग करते हुए, समझौते की ऐसी समय अवधि को नहीं बढ़ा सकते हैं।

(46) यह माना गया कि पासबुक कर पत्र करने वाले और धोखेबाज इस तरह के विस्तार के हकदार नहीं होंगे, और एक योग्य उधारकर्ता के मामले में, जिसने निपटान की मूल निर्धारित अवधि के भीतर पर्याप्त राशि जमा की है, और अपनी ईमानदारी साबित की है, और एक उचित अवधि में शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और लेनदार को देरी की अवधि के लिए ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति भी करता है, न्यायालय इस तरह के निपटान के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लचीलेपन के साथ अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

(47) इसने कुछ उदाहरणात्मक दिशानिर्देश निर्धारित दि० हैं जिन पर मामले दर मामले के आधार पर संचयी या व्यक्तिगत रूप से विचार करने की आवश्यकता है ताकि यह तय किया जा सके कि किसी दिए गए मामले में कोई आवेदक ओटीएस के विस्तार का हकदार होगा या नहीं।

(48) वे इस प्रकार हैंः-

ए. समझौते में प्रदान किया गया मूल समयः-

यदि निपटान राशि का भुगतान करने के लिए निपटान पत्र में मूल रूप से निर्धारित समय अवधि कम है या अत्यधिक नहीं है, तो विस्तार के मामले पर विचार किया जा सकता है, और ऋणकर्ता को OTS का भुगतान करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।

बी. निपटान के तहत या याचिका दायर करने से पहले पहले से जमा किए गए भुगतानों की सीमाः-

यदि उधारकर्ता पहले से ही OTS के तहत लेनदार को पर्याप्त राशि का भुगतान कर चुका है, और कुछ शेष राशियों के लिए, एक उचित विस्तार की मांग कर रहा है, तो इस तरह के अनुरोध को अनुकूल माना जा सकता है।

ग. भुगतान में देरी के कारण -

यदि उधारकर्ता को उसके नियंत्रण से परे कुछ कारणों या परिस्थितियों से रोका गया था, तो यह अनुकूल रूप से विस्तार पर विचार करने का एक कारण हो सकता है।

( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

अनिवार्य होगा ताकि उधारकर्ता यह दिखा सके कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि आपेक्षित राशियों की व्यवस्था निर्दिष्ट समय के भीतर की जाए, लेकिन अपने सभी सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह इसकी व्यवस्था नहीं कर सका।

**डी. निर्धारित तिथि के बाद बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा भुगतान स्वीकार किए जाने के बादः-**

यदि बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि के बाद भी कुछ भुगतान स्वीकार किए जाते हैं, तो यह पता चलेगा कि समय अनुबंध का सार नहीं था, और इस तरह के आचरण से यह स्पष्ट होगा कि OTS राशि का भुगतान करने में कुछ छूट या लचीलापन पक्षों के बीच आरक्षित है।

E. निपटान के तहत शेष राशि का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता का प्रामाणिक इरादा Bold

विस्तार के मुद्धे पर विचार के लिए बैंक को बुलाने से पहले ऐसे आवेदक को शेष राशि के लिए कुछ अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहकर उसे वास्तविक इरादे का उचित परीक्षण किया जा सकता है। यदि ऐसी राशि न्यायालय के आदेशों के तहत जमा की जाती है और वास्तविक स्थिति स्थापित हो जाती है, तो ऐसा आवेदक विस्तार के लिए आवेदन पर अनुकूल विचार करने का हकदार होगा।

F. आवेदक द्वारा शेष/शेष निपटान राशि का भुगतान करने के लिए समय अवधि की मांग की जा रही है। Bold

एक आवेदक जिसका इरादा शेष निपटान राशि का चुकाने का, वह समय विस्तार की अनुचित अवधि का दावा नहीं करेगा, अन्यथा, समझौता करने के किसी भी वास्तविक इरादे के बिना, अधिक समय प्राप्त करने का इरादा होगा।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अदालत उचित अवधि निर्धारित करेंगी, ताकि उधारकर्ता शेष निपटान राशि का भुगतान कर सके, बशर्ते कि, विलंबित अवधि के लिए उचित ब्याज के भुगतान के अधीन, इक्विटी को संतुलित किया जा सके।

**G. उपस्थित कारक और परिस्थितियाँ -**

ऐसे कारकों के उदाहरण कोविड-19 महामारी द्वारा पैदा की गई स्थिति हो सकती हैं, और किसी आवेदक को दिए जाने वाले विस्तार की अवधि निर्धारित करते समय राशि की व्यवस्था करने में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिया जा सकता है।

इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं, आग की घटनाओं, चोरी, बाढ़, तूफान आदि से होने वाले नुकसान को भी समय बढ़ाने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

**एच. आवेदक को अपूरणीय क्षति और चोट**

(49) अनु भल्ला (1 सुप्रा) मामले की खण्ड पीठ ने स्पष्ट किया कि दिशानिर्देश/कारक संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि केवल पक्षों और अदालतों के मार्गदर्शन के लिए उदाहरणात्मक हैं, जबकि OTS के तहत उधारकर्ता द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। मामले दर मामले के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय एक न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत होने के नाते उधारकर्ता की साख पर भी विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(50) उपरोक्त निर्णय सुनाते समय विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर उक्त खण्ड पीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय देते समय विचार किया गया था।

(51) इसलिए, प्रतिवादी-बैंक का यह तर्क कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय ओ. टी. एस. के तहत भुगतान पूरा करने के लिए समय का विस्तार नहीं दे सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।ऐसी शक्ति निस्संदेह मौजूद है, हालांकि अधिकार के मामले के रूप में नहीं है, और इसका उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों/सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

(52) हालाँकि, प्रत्यर्थी-बैंक के वकील ने यह तर्क देना चाहा कि उक्त निर्णय केवल ओटीएस योजना के अलावा अन्य निपटान के मामलों से संबंधित है, और ओटीएस योजना के तहत किए गए निपटान के लिए कोई आवेदन नहीं होगा, और भेद करने का प्रयास किया ।

अनु भल्ला (1 सुप्रा) को अलग करते हैं।

(53) हम यह इंगित कर सकते हैं कि अनु भल्ला (1 सुपरा) में, न्यायालय ने पैरा 14 में विशिष्ट मुद्दा तैयार किया था कि क्या इस न्यायालय ने

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, ओटीएस की अवधि बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र रखाया है, और फिर

पीठ ने कहा कि उक्त मुद्दे का जवाब पैरा No.24 में सकारात्मक रूप से दिया गया है।इसलिए, हम प्रतिवादी-बैंक के वकील के इस तर्क को खारिज करते हैं।

(54) प्रतिवादी-बैंक के वकील ने तब यह तर्क देने की कोशिश की हाल ही में बिजनौर शहरी सहकारी बैंक (10 सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी बैंक को ऋणकर्ता को ओ. टी. एस. के लाभ पर सकारात्मक रूप से विचार करने या प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है, और इसलिए, ओ. टी. एस. के पालन करने के लिए समय का विस्तार भी इस न्यायालय द्वारा किसी आधारकर्ता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है I अरविंद इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट किया है। प्राइवेट लिमिटेड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया



( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

इस न्यायालय द्वारा किसी उधारकर्ता को प्रदान किया गया।(55) हम यह पता कर सकते हैं कि बिजनौर शहरी सहकारी बैंक (10 सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय किसी बैंक द्वारा पहले से ही किसी उधारकर्ता को स्वीकृत ओ. टी. एस. का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के सवाल से संबंधित नहीं था।यह एक उधारकर्ता को ओ. टी. एस. योजना लाभ का अनुदान न देने के मामले से निपट रहा था।अतः उक्त निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।

(56) वास्तव में, बिजनौर शहरी सहकारी समिति का फैसला

बैंक (10 सुप्रा)के मामले मे दि० गई निर्णय मे सरदार एसोसिएट्स बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले ध्यान दें नहीं दिया था, जिसने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था।

(57) सरदार एसोसिएट्स (18 सुप्रा) में, पंजाब एंड सिंध बैंक के एक उधारकर्ता ने ओ. टी. एस. के लिए आर. बी. आई. के दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक विशेष राशि की पेशकश की, लेकिन बैंक ने उधारकर्ता से अधिक की मांग की क्योंकि उसके पास बेहतर सुरक्षा उपलब्ध

थी, और यह कहते हुए अपने निर्णय का बचाव किया कि यह उसके बोर्ड का एक नीतिगत निर्णय था। उच्चतम न्यायालय

कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

(58) सरदार एसोसिएट्स (18 सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय रिजर्व बैंक एक सांविधिक प्राधिकरण है, कि वह अनुसूचित बैंकों के कामकाज के मामले में पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करता है, और अनुसूचित बैंकों के पर्यवेक्षण से संबंधित मामले भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा शासित होते हैं।इसने माना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पत्र दिनांक 03.09.2005 द्वारा से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक को संबोधित; कि उक्त पत्र परिपत्र दिनांक 19.08.2005 को संदर्भित करता है।2005 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी; उक्त परिपत्र के अनुसार, Rs.10 करोड़ से कम के एनपीए की वसूली के लिए ओटीएस योजना प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे; और पत्र दिनांक 30.09.2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस तरह की ओ. टी. एस. योजना को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लागू किया जाना था और एस. एम. ई. क्षेत्र में दिशानिर्देश गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण थे।

(59) इसने माना कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र  में अपने निर्णय के अनुसार ओ. टी. एस. से संबंधित आर. बी. आई. के दिशानिर्देशों को लागू करना होगा जिसमे कहा गया था कि उक्त मामले में बैंक का निदेशक मंडल उक्त दिशानिर्देशों से विचलित नहीं हो सकता था और इसका आचरण एस. सी. सी. में निहित समानता खंड का उल्लंघन था। तथा

13 2002 (1) एससी 367



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 मे वर्णित है।
(60) इसने अभिनिर्धारित किया कि बैंक ने स्वयं आर. बी. आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार ओ. टी. एस. लागू करने के संबंध में अपीलकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करना करने का प्रस्ताव दिया था, और वह निश्चित रूप से उसके पास पड़ी प्रतिभूतियों की राशि से अवगत

कराना था। इसने घोषणा की कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी उधारकर्ता में एक अधिकार बनाया जाता है, तो यहां तक कि परमादेश की एक रिट भी जारी की जा सकती है।

(61) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय में

मेसर्स इंडो स्विस टाइम लिमिटेड बनाम उमराव और अन्य 14, यह आयोजित किया गया था

कि यदि दो समान पीठों द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बीच सीधा टकराव है, तो उच्च न्यायालय को उस निर्णय का पालन करना चाहिए जो कानून को अधिक विस्तृत और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करता प्रतीत होता है और यह कि केवल समय की घटना-चाहे निर्णय पहले हो या बाद में, शायद ही प्रासंगिक हो सकता है।

(62) हमारा विचार है कि सरदार एसोसिएट्स (18 सुप्रा) के मामले में न्यायालय ने ओटीएस के अनुदान के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया था।

बजाय बिजनौर शहरी सहकारी बैंक (10 सुप्रा) के मामले में और

सरदार एसोसिएट्स (18 सुप्रा) में निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था

बिजनौर शहरी सहकारी बैंक में उच्चतम न्यायालय (10 शीर्ष) के मामले मे

इसलिए हम सरदार एसोसिएट्स (18 सुप्रा) के मामले मे दिए गए निर्णय का पालन करना पसंद करते हैं और मानते हैं कि किसी बैंक के लिए किसी उधारकर्ता द्वारा मांगे गए ओ. टी. एस. को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा, बशर्ते वह उक्त बैंक द्वारा अपनाई जा रही ओ. टी. एस. नीति के अंतर्गत आता हो।

(63) हमारा यह भी मानना है कि बिजनौर शहरी सहकारी बैंक (10 सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि सभी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अनुसूची बैंक द्वारा प्रस्तावित ओटीएस योजना का विस्तार करने में असहाय है, क्योंकि उक्त मुद्दा उस मामले में विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था।

(64) यधपि, ऊपर निर्दिष्ट अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख प्रत्यर्थी-बैंक के वकील द्वारा उनकी दलीलों का समर्थन करते हुए किया गया था, तथापि इस उच्च न्यायालय के अनु भल्ला (1 सुप्रा) के मामले में दिए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जो इस पीठ पर बाध्यकारी है, हम प्रतिवादी-बैंक की इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत इस न्यायालय के पास किसी भी परिस्थिति में उधारकर्ता को ओटीएस एकमुक्त ऋण अवधि का विस्तार प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है।

(65) इसलिए इस मुद्दे का जवाब याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।



(66) अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे:"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ एकमुक्त शेष राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाने की अनुमति है?"

(67) वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी-बैंक ने दिनांक 11.08.2007 के माध्यम से। याचिकाकर्ता को Rs.10,53,75,069.74 एक मुक्त राशि की पेशकश की, जिसमें याचिकाकर्ता को आवेदन के साथ खाता राशि का 10 प्रतिशत, मंजूरी की तारीख से एक महीने के भीतर एकमुक्त भुगतान राशि का 25 प्रतिशत और मंजूरी की तारीख से छह महीने के भीतर शेष 75 प्रतिशत का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

(68) याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से1. 40 करोड़ पत्र करवाकर इस पर सहमति व्यक्त की और निपटान के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(69) 21.11.2017 को, प्रत्यर्थी-बैंक ने एकमुक्त राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी और याचिकाकर्ता को 21.12.2017 तक राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा, और कहा कि शेष राशि का भुगतान उक्त पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर किया जा सकता है, अर्थात 21.05.2018 को एम. सी. एल. आर. पर ब्याज की तुलना में 2 प्रतिशत के साथ, भुगतान की जा सकती है अर्थात एकमुक्त राशि को निष्फल कर दिया जाएगा।

(70) याचिकाकर्ता ने 30.12.2017 तक रु. 1,23,45,000/- की राशि जमा की, जिसकी पुष्टि प्रतिवादी-बैंक द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2018 पत्र के माध्यम से की गई। याचिकाकर्ता ने रुपये का भुगतान दिनांक 16.03.2018 तक कर दिया था ।

(71) इस प्रकार, रु। याचिकाकर्ता द्वारा 4.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। जिससे 21.05.2018 तक देय राशि 6 करोड़ 02 लाख का भुगतान शेष रह गया ।

(72) 10.05.2016 के आणूलग्न्क पी–2 के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने 21.05.2018 तक 3.50 करोड़ रुपये देने का वादा किया। संपत्तियों को बेचने और धन जुटाने की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई के कारण 2.52 करोड़ रुपये की भुगतान राशि के लिए 8–9 महीने का समय मांगा ।

(73) याचिकाकर्ता के अनुसार रु. 21.05.2018 को भुगतान के लिए 3.50 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, लेकिन प्रत्यर्थी-बैंक ने उक्त राशि को केवल अगले दिन यानी 22.05.2018 को ही उक्त राशि जमा की ।

(74) यह मानते हुए भी कि प्रतिवादी-बैंक भुगतान की तारीख के संबंध में सही है, इस तरह के भुगतान में 24 घंटे की देरी को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.05.2018 को लिखे गए पत्र में की गई प्रतिबद्धता का बहुत गंभीर उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

(75) इस प्रकार, जो भुगतान किया जाना बाकी था वह रु। 2. 52 करोड़ (एकमुक्त राशि 20 प्रतिशत) था



ओटीएस), और प्रतिवादी बैंक को 8.02 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे-जोकि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा स्वीकृत ओ. टी. एस. राशि का 80 प्रतिशत था।(76) यह भी विवाद में नहीं है कि इस रिट याचिका को दायर करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा 21.02.2019 को याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई की तारीख 25.03.2019 पहले Rs.50 लाख जमा करने का निर्देश दिया गया था, और याचिकाकर्ता ने 3 महीने की देरी के साथ 24.06.2019 को उक्त राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, आज की तारीख तक ओ. टी. एस. में जो कुछ बचा है, वह 2 करोड़ रुपये राशि है।

(77) बाद की अवधि के दौरान, हालांकि रिट याचिका को 25.07.2019,05.08.2019,24.10.2019,22.11.2019,19.04.2021,29.04.2021,18.08.2021,27.10.2021,13.12.2021,01.02.2022 और 15.02.2022 पर सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बहस केवल 02.03.2022 को ही पूरी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19

महामारी के कारण वर्ष 2020 मे मामला सूची ही नहीं कियागया था और इसी कारण से वर्ष 2021 में मामलों समिति सूचिकरण के कारण मामला, और इसके बाद कभी-कभी याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर और कभी-कभी प्रतिवादी-बैंक के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया था।

(78) याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क है कि यदि याचिकाकर्ता को दो महीने का समय दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता 21.11.2017 को जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार 2 करोड़ रुपये की शेष राशि एकमुक्त ओ. टी. एस. राशि का ब्याज के साथ भुगतान करेगा।

(79) इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी बैंक को समोन्धित पत्र दिनांक 10.05.2018 मे एकमुक्त राशि के भुगतान के लिए केवल 8–9 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए समय मांगा था  लेकिन प्रतिवादी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 16.05.2018  के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

(80) केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता द्वारा माँगा गया उक्त 8-9 महीने का समय अब समाप्त हो चुका था, हमारी राय में, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता को अब ओटीएस विस्तार से इनकार कर दिया जाना चाहिए।

(81) यदि प्रतिवादी-बैंक ने उस समय उक्त अनुरोध पर सहमत हो जाता, या यदि उसने और भी कम समय दिया होता, तो यह संभव है कि याचिकाकर्ता ने रुपये की शेष राशि का भुगतान किया होता। लागू ब्याज के साथ 2 करोड़।

(82) रिट याचिका के निपटारे में देरी को याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह एक स्थापित कानून है कि न्यायालय की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं कर सकती है और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय किसी पक्ष के खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है।

(83) एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड में लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता



( एम. एस. रामचंद्र राव, जे.)

सतीश कुमार गुप्ता, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा कीः“124. इस तथ्य को देखते हुए कि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समय पर समाधान संहिता के सफल कायकाद में एक प्रमुख

कारक है, संशोधन के खिलाफ एकमात्र वास्तविक तर्क यह है कि कानूनी कार्यवाही में लाग्रे वाले समय को कभी भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष जोकि न्याय के कारण को पूरा करता है अर्थात एक लैटिन सिद्धांत के आधार पर नहीं रखा जा सकता है।, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट।

125. आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह 1988 (4) एस. सी. सी. 284 में,

इस न्यायालय ने हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के तहत कानूनी कार्यवाही में लगने वाले समय की अधिकतम सीमा को लागू करते हुए कहाः(एस. सी. सी. पृष्ठ 288-89, पैरा 8)

“8. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत की गलती या प्रक्रिया में देरी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। ब्रूम ने कहा है कि मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट अर्थात अदालत का कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, निर्णय के लिए सामान्य रूप से लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, किराया अधिनियम के आवेदन से दस साल की छूट या अवकाश भ्रामक हो जाएगा, अगर उस समय के भीतर मुकदमा दायर किया जाना है और अंत में निपटाया जाना है।यह सर्वविदित है कि जब तक कोई मुकदमा किराए पर देने की तारीख के तुरंत बाद दायर नहीं किया जाता है, तब तक इसे दस साल के भीतर कभी भी निपटाया नहीं जाएगा और फिर भी उस समय के भीतर इसका निपटारा नहीं किया जा सकता है । इससे किराया अधिनियम से दस साल की छुट् को भ्रामक बना देगा और मकान मालिकों को घरों की कमी की समस्या को हल करने के लिए नए घर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देगा।इस प्रकार कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सामाजिक सुधार कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या किसी भी अन्य बात की परवाह किए बिना अनिवार्य है ।

127. … … इस तथ्य को देखते हुए कि कानूनी कार्यवाही में लगने वाला समय किसी वादी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है यदि न्यायाधिकरण स्वयं वादी की बिना किसी गलती के आवश्यक अवधि के भीतर वादी के मामले को नहीं उठा सकता है, तो एक प्रावधान जिसमें सी. आई. आर. पी. को बिना किसी अनुवाद के अनिवार्य रूप से एक निश्चित तिथि तक समाप्त करने की आवश्यकता होती है I वह -अनुच्छेद 14 के तहत गैर-मनमाने व्यवहार के लिए एक वादी के मौलिक अधिकार में अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक वादी के मौलिक अधिकार पर अत्यधिक, मनमाना और इसलिए अनुचित प्रतिबंध हो सकता है।

भारत।इस मामले में, हम आम तौर पर प्रावधान को पूरी तरह से रद्द कर देते। हालाँकि, ऐसा करने में बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक देगा, क्योंकि कानूनी कार्यवाही में लगने समय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है जो देरी का कारण बनता है, और जिसने पिछले वैधानिक प्रयोगों को विफल कर दिया है जैसा कि हमने मद्रास पेट्रोकेम 31 से देखा है।इस प्रकार, प्रावधान को अन्यथा बरकरार रखते हुए, हम "अनिवार्य रूप से" शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना होने और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत कार्य करने के वादी के अधिकार पर अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध होने के कारण रद्द करते हैं। इस घोषणा का प्रभाव यह है कि आम तौर पर निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया के संबंध में लिया गया समय दिवालियेपन की शुरू होने की तारीख से 330 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें विस्तार और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय शामिल है। हालाँकि, किसी मामले के तथ्यों पर, यदि संहिता के तहत निर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण को यह दिखाया जा सकता है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 330 दिनों से अधिक  की अवधि ही शेष है  और यह कि यह सभी हितधारकों के हित में होगा कि निगमित ऋणी को परिसमापन में भेजे जाने के बजाय उसे पुन: अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और कानूनी कार्यवाही में लिया गया समय काफी हद तक उन कारकों के कारण है जिनके कारण निर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वादियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो देरी या इसका एक बड़ा हिस्सा निर्णायक प्राधिकरण और/या स्वयं अपीलीय न्यायाधिकरण की धीमी प्रक्रिया के कारण हो सकता है। तो ऐसे मामलों मे न्याय निर्णयक प्राधिकारी और या अवितिय न्याय के लिए 330 दिनो का समय बढ़ाना समय हो सकता है ।  इसी तरह, खंड 12 में नए जोड़े गए परंतुक के तहत भी, यदि सभी उपरोक्त कारकों के कारण 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अनुग्रह अवधि पार हो जाती है, तो फिर से निर्णायक प्राधिकरण और/या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाने के लिए एक विवेकाधिकार का

प्रयोग किया जा सकता है। केवल ऐसे अप्वद्यतव मामलों में ही समय बढ़ाया जा सकता है, सामान्य नियम यह है कि 330 दिन की बाहरी सीमा है जिसके भीतर निगमित देनदार की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान होना चाहिए, जिसके बाद निगमित देनदार को परिसमापन के लिए प्रेरित किया जाना है।" ( जोर दिया गया)

(84) यह अस्वीकृति पत्र दिनांक 16.05.2018 में कहा गया है।



यह योजना गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन थी और योजना के नियम और शर्तें सभी पात्र उधारकर्ताओं पर समान रूप से लागू होती हैं और इस योजना के तहत नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

(85) प्रतिवादी-बैंक के वकील द्वारा "गैर-विवेकाधीन" और "गैर-भेदभावपूर्ण" शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है, और यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता को बैंक द्वारा कोई विस्तार दिया गया था, तो अन्य उधारकर्ता भी इसकी मांग कर सकते हैं।

(86) अनु भल्ला (1 सुप्रा) के मामले में, इस अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ओ. टी. एस. की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया था; और यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक ( प्रतिवादी) ने भी, जिसने ओ. टी. एस. के तहत अपने खातों का निपटान एस. बी. आई.-ओ. टी. एस.-2019 के नाम से किया था, निपटान की अंतिम तिथि 31.03.2020 से बढ़कर 30.06.2020 और फिर 30.09.2020 तक बढ़ा दी थी, जब देश कोविड-19 महामारी से प्रभावित था।

(87) इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि ओटीएस स्वीकृति पत्र में निर्धारित समय सीमा पवित्र है और बैंक द्वारा किसी भी कारण से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है।

(88) तदनुसार हम प्रतिवादी द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र संलग्नक पी1 दिनांक 16.5.2018 को रद्ध करते है ओ. टी. एस. की शर्तों का पालन करने के लिए याचिकाकर्ता को समय देने से इनकार करने वाले प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया।

(89) अब हम देखेंगे कि क्या याचिकाकर्ता ओ. टी. एस. का विस्तार देने के लिए अनु भल्ला (1 सुपरा) के मामले में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है या नहीं ।

(90) मान लीजिए, याचिकाकर्ता पहले ही ओटीएस के तहत निर्धारित अंतिम तिथि यानी 21.05.2018 तक ओटीएस राशि का 80 प्रतिशत भुगतान कर चुका था, और केवल रु। 25 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी था।

(91) ओटीएस के अनुसार, 21.05.2018 के बीच छह महीने में Rs.10 करोड़ से अधिक की राशि जुटानी थी, और इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करना मुश्किल है; और फिर भी सर्वोत्तम प्रयास करके, याचिकाकर्ता ने 21.05.2018 तक एकमुक्त राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया था, और केवल 2.52 रुपये की शेष राशि का भुगतान करने के लिए एक उचित विस्तार की मांग कर रहा था। बाताए गए और इसने निपटान राशि का भुगतान करने का इरादा दिखाया था। याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान में देरी के लिए दिए गए कारण सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्तियों को उचित मूल्य पर बेचने में कठिनाई थी, जिसे पूरी तरह से गलत नहीं माना जा सकता है; याचिकाकर्ता ने उसी को बेचने का प्रयास किया जिसे प्रतिवादी-बैंक द्वारा भी स्वीकार किया गया है; 588

रिट याचिका दायर करने के बाद T–50 लाख के भुगतान शेष राशि चुकाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मागी गई समयवधि मात्र दो महीने है और 2020 से अवधि के दौरान व्यवस्यों पर कोविड–19 महामारी के हानिकारक  प्रभाव को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए ।

2022(1)

याचिकाकर्ता

(92) इसलिए हमारी राय है कि उपरोक्त कारणो से, याचिकाकर्ता को उचित समय देने और उसके लिए ब्याज का भुगतान करके बैंक का मुआवज़ा देने का यह एक उपयुक्त मामला है ।

(93) तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी 1 दिनांक 16.05.2018 को अलग रखा गया है और याचिकाकर्ता को OTS दिनांक 21.09.2017 के मंजूरी पत्र के अनुसार ब्याज के साथ 2.02 करोड़ का’ भुगतान करने के लिए आप से 6 सप्ताह का समय दिया जाता है । प्रतिवादी बैंक याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ता द्वारा देय ब्याज की राशि के बारे मे सूचित करेगा ।

(94) ऊपर बताए गए ब्याज सहित भुगतान न  करने पर रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी ।

(95) तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त कारणो से स्वीकार की जाती है।

(96) कोई लागत नहीं।

(अस्वीकरण स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयवहारिक और अधिकारक उदेशयों के लिए निर्णय का अँग्रेजी सन्सकरण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्व्यन के उदेशय के लिए उपुयक्त रहेगा)।

विजय कुमार

अनुवादक